प्रेस नोट
दिनांक 20.07.2027

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा वृक्षारोपड़ जन महाअभियान के तहत पुलिस कार्यालय परिसर में किया गया वृक्षारोपड़ः–

''एक पेड़ मां के नाम'' पर्यावरण संरक्षण का महाअभियान के तहत जनपदीय बल द्वारा किया गया 4,000 पौधों का वृक्षारोपणः–

गोण्डा। श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 लखनऊ एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 शासन के शासनादेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के नेतृत्व में 'एक पेड़ मां के नाम" वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया, जिसके तहत पुलिस परेड ग्राउंड एवं आवासीय परिसर एवं जिले के सभी थानो/चौकी के आसपास वृहद स्तर पर विभिन्न प्रकार के करीब 4,000 फलदार, छायादार, तथा औषधीय पौधों जैसे ऑम, अमरूद, ऑवला, सागौन, सहजन इत्यादि का रोपण किया गया तथा उनकी सुरक्षा हेतु संकल्प लिया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा पुलिस कार्यालय परिसर में एक पेड़ मॉ के नाम वृक्षारोपड़ अभियान के तहत वृक्षारोपड़ किया गया तथा वहां पर उपस्थित सभी अधिकारी/कर्मचारीगणों को संबोधित करते हुये बताया गया कि माननीय उ0प्र0 शासन के आह्वान पर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश भर में वृक्षारोपण अभियान "एक पेड़ मां के नाम" शुरू किया गया है। उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जिलों में अभियान के तहत वृक्षारोपण किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में पुलिस विभाग द्वारा भी सुरक्षा के साथ–साथ इस अभियान के तहत वृक्षारोपण का कार्य भी किया जा रहा है सभी अपने घर के पास एक पेड़ जरूर लगाये और पर्यावरण को संरक्षित करने में सहयोग प्रदान करें। हम सब देख रहे है कि प्रत्येक वर्ष तापमान में वृद्धि हो रही है जिसका मुख्य कारण पर्यावरण में असंतुलन है इसलिये हम सबकी जबावदेही बनती है कि हम कम से कम एक वृक्ष लगाये तथा आने वाली पीढ़ी को भी इस अभियान से जोडे। एक पेड़ मॉ के नाम अभियान का मुख्य उद्देश्य हमारे वातावरण को स्वच्छ व शुद्ध रखना है तथा प्रकृति के प्रति सकारात्मक रवैये को लेकर लोगों को जागरूक किया जाना है ताकि बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण अशुद्ध होते वातावरण से आने वाली पीढ़ी के लिए इसे अनुकूल बनाया जा सके। इसी कड़ी में आज दिनांक को जिला पुलिस द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राऊंड, आवासीय परिसर, एवं जिले के सभी थाना परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसके तहत हम सब एक पौधा रोपित कर उसके देखभाल की प्रतिज्ञा लेगे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 20.07.2024

थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा 24 घण्टे के अन्दर नाबालिग लड़की के साथ सामुहिक दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तारः–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना खोड़ारे पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मु0अ0सं0–154/24, धारा 70,65(1),115,352 बीएनएस, 5(जी)/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त–01. मो0 शादाब पुत्र अली हसन नि0 बभनी मौजा बभनगांव थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को गिन्नीनगर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 19.07.2024 को थाना खोड़ारे क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना खोड़ारे में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पत्नी व बेटी शौच के लिए बाहर गयी थी तभी विपक्षी शादाब व तौफीक द्वारा मेरी नाबालिग बेटी को गन्ने के खेत में ले जाकर सामुहिक दुष्कर्म किया गया है तथा मेरी पत्नी को गाली–गुप्ता देते हुए मारा–पीटा गया है। पत्नी की आवाज सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुचे तो विपक्षीगण मौके से फरार हो गए थे। डायल–112 की मदद से बेटी को सी0एचसी0 बभनजोत लाया गया था जहां से डॉक्टरों द्वारा मेरी बेटी को जिला अस्पताल गोण्डा रिफर कर दिया गया है। वादी की तहरीर पर थाना खोड़ारे में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। घटना को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा आरोपी अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु क्षेत्राधिकारी मनकापुर के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया था। आज दिनांक 20.07.2024 को पुलिस टीमों द्वारा आरोपी अभियुक्त शादाब को गिन्नीनगर तिराहे से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. मो0 शादाब पुत्र अली हसन नि0 बभनी मौजा बभनगांव थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–154/24, धारा 70,65(1),115,352 बीएनएस, 5(जी)/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

प्र0नि0 मनोज कुमार पाठक थाना खोड़ारे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 20.07.2024, थाना कोतवाली नगर
जनपद गोण्डा।

थाना को0नगर क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना को0नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 492/2024, धारा 363, 366, 376 भादवि व 4(2) पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त अजय तिवारी पुत्र मनोज तिवारी निवासी मुडकुडा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को थाना को0नगर पुलिस के द्वारा महादेवा क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अन्तर्गत वादी के नाबालिग बहन को विपक्षी द्वारा बहला-फुसला कर भगा ले जाने की सूचना प्राप्त हुई। वादी की तहरीर के आधार पर थाना को0नगर में मु0अ0सं0- 492/2024, धारा 363 भादवि बनाम आज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान पीडिंता के वयान के आधार पर अभियोग में धारा 366, 376 भादवि व 4(2) पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी किया गया। आज दिनांक 20.07.2024 को वांछित अभियुक्त अजय तिवारी पुत्र मनोज तिवारी निवासी मुडकुडा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को थाना को0नगर पुलिस के द्वारा महादेवा क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. अजय तिवारी पुत्र मनोज तिवारी निवासी मुडकुडा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 492/2024, धारा 363, 366, 376 भादवि व 4(2) पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 रजनीश द्विवेदी
02. हे0का0 अभय प्रताप यादव
03. का0 राजेश कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।